न्यायालय न्यायनिर्यर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारी लाल शर्मा
मुकदमा नम्बर 13/2023 — आर.ए.एस

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।
बनाम
श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश मोदी, मैसर्स मोदी ट्रेडिंग कम्पनी, जोशियों का गट्टा, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर से ....अनावेदक स्वयं तथा अधिवक्ता श्री रविराज सिंगोदिया।

–निर्णय– दिनांक : 28.08..2023

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार हैः– कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 18.01.2023 को मैसर्स मोदी ट्रेडिंग कम्पनी, जोशियों का गट्टा, तहसील व जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश मोदी उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर एक रैक में 100 पॉलीपैक Superi (Mari Gold) 72 ग्राम वजन के आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ Superi (Mari Gold) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ Superi (Mari Gold) के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने अपने अधिवक्ता के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी जोशियों का गट्टा, तहसील व जिला झुन्झुनू में मै0 मोदी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से दुकान है जहां वह Superi (Mari Gold) बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ Superi (Mari Gold) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्ड फूड(Misbranded Food) पाया गया है। अनावेदक द्वारा जरिये अधिवक्ता शुभम एजेन्सीज, वीकेआई जयपुर का दिनांक 08.01.2023 के एक बिल की प्रति जबाब के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनावेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ शुभम एजेन्सीज, वीकेआई जयपुर से जरिये पक्के बिल खरीदा था अतः अतः खाद्य पदार्थ के मिसब्रान्ड फूड(Misbranded Food) पाये जाने की जिम्मेदारी शुभम एजेन्सीज, वीकेआई जयपुर की है। अतः उसके विरूद्ध लम्बित प्रकरण को निरस्त किया जाये।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक एवं उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./155/एक्ट/2023/226 दिनांक 25.01.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ Super(Mari Gold) मिसब्रान्ड फूड(Misbranded Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस. ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। अनावेदक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक एफएसएसए/2023/144 दिनांक 08.02.2023 एवं पत्रांक 301 दिनांक 21.03.2023 द्वारा खाद्य पदार्थ Superi (Mari Gold) का क्रय किसी अन्य फर्म से किया जाने का बिल मांगा गया था जिसके जबाब में अनावेदक ने अपने लिखित जबाब दिनांक 11.05.2023 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का बिल नही होने बाबत निवेदन किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनावेदक को भेजे गये नोटिस तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त जबाब पत्रावली में सलंग्न है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 मोदी ट्रेडिंग कम्पनी, जोशियों का गट्टा झुन्झुनू में खाद्य पदार्थ Superi (Mari Gold) बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अनावेदक की दुकान से सैम्पल लिये जाने के दौरान तथा बाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद भी अल्स फर्म का बिल पेश नही करने के कारण प्रकरण में किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ Superi (Mari Gold) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश मोदी, मैसर्स मोदी ट्रेडिंग कम्पनी, जोशियों का गट्टा, तहसील व जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 20,000/– बीस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।